



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



GH 163890

प्रारूप-अ

शपथ-पत्र

हम राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला (अध्यक्ष) एवं बीरेन्द्र प्रसाद शुक्ला (सचिव) कमशः अध्यक्ष एवं सचिव रामेश्वरम् एजुकेशनल सोसाइटी, गोविन्दपुरम, सीतापुर रोड, लखनऊ शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं:-

1. यह कि हमारी सोसाइटी रामेश्वरम् एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा रामेश्वरम् फार्मसी कॉलेज, ग्राम-अलमापुर, पोस्ट-मनवा, तहसील-सिधौली, जिला-सीतापुर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम ग्राम-अलमापुर, पोस्ट-मनवा, तहसील-सिधौली, जिला-सीतापुर में गाटा संख्या 196, 203, 204 एवं 205 कुल रकबा 1.8125 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार को कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 196, 203, 204 एवं 205 रकबा कमशः 1.8125 हेक्टेयर मे से 2.5 एकड़ पर रामेश्वरम् फार्मसी कॉलेज संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 06.07.2021 द्वारा पारित है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा/डिग्री फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया गया है।

Sworn and
Before me

R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No 31/64/2000



6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा/डिग्री फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में अभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व पर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भली-भांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्णरूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



Sworn and verified
Before me

R.C. Verma
R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. INDIA
Regd No. 31/64/2000